न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 148 / 2021

महेश कुमार दूत पुत्र रामेश्वर लाल, रूघावाली जोहडी के पास, ग्रा0पो0 कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 26.08.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 148 / 2021 पर दिनांक 10.08.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2472–73 दिनांक 10.08.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 2021 / 263 दिनांक 19.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन मे जो सूचना चाही है, उक्त सूचना प्रार्थी द्वारा पूर्व मे भी इस कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई, श्रीमान्जी सूचना बहुत पुरानी होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 20 वर्ष से अधिक पुरानी सूचना के पृथक्करण से भी छूट, इसके बावजूद आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय मे टीम का गठन कर चाही गई सूचना की तलाश की गई जिसमे प्रार्थी को मतदाता सूची ग्राम कोलसिया की वर्ष 1959, 1971, 1975, 1980 एवं 1993 की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। शेष 1951 से 1965 तथा 01.01.1972 से 31.12.78 तक की मतदाता सूची ग्राम कोलसिया की उपलब्ध नही होने से सूचना दिया जाना संभव नही है। उक्त संबंध मे प्रार्थी को पूर्व मे सूचित कर दिया गया है तथा उक्त सूचना के संबंध मे श्रीमान्जी के स्तर पर अपील भी खारिज की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0 / 2021 / 263 दिनांक 19.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन मे जो सूचना चाही है, उक्त सूचना प्रार्थी द्वारा पूर्व मे भी उनके कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई, श्रीमान्जी सूचना बहुत पुरानी होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 20 वर्ष से अधिक पुरानी सूचना के पृथक्करण से भी छूट, इसके बावजूद आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उनके कार्यालय मे टीम का गठन कर चाही गई सूचना की तलाश की गई जिसमे प्रार्थी को मतदाता सूची ग्राम कोलसिया की वर्ष 1959, 1971, 1975, 1980 एवं 1993 की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। शेष 1951 से 1965 तथा 01.01.1972 से 31.12.78 तक की मतदाता सूची ग्राम कोलसिया की उपलब्ध नही होने से सूचना दिया जाना संभव नही है। उक्त संबंध मे प्रार्थी को पूर्व मे सूचित कर दिया गया है तथा उक्त सूचना के संबंध मे श्रीमान्जी के स्तर पर अपील भी खारिज की जा चुकी है।
7. चूंकि चाही गई सूचना 20 वर्ष से अधिक पुरानी है एवं 20 वर्ष से अधिक पुरानी सूचना दिये जाने

जिला कलक्टर झुंझुनूं

के संबंध मे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिये जाने के संबंध मे छूट प्राप्त है। फिर भी लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु टीम गठित कर पर्याप्त प्रयास किये गये है। कार्यालय मे उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। वर्ष 1951 से 1965 तथा 01.01.1972 से 31.12.78 तक की मतदाता सूची ग्राम कोलसिया की उपलब्ध नही होने से सूचना दिया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 26.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/8/21

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं